

स्टार्टअप की उड़ान, भारत की बड़ी छलांग

1.92 लाख स्टार्टअप, 17.9 लाख से अधिक रोजगार | 2014 में 500 से स्टार्टअप थे जो बढ़कर 1.92 लाख हुए | 91 वीं रैंक से 38वें स्थान तक पहुंचा देश | 03 साल में भारत अगले इनोवेशन इंडेक्स में टॉप 10 में

शाह बोले- युवाओं को मिल रहा नया मंच और अवसर
गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव में किया एलान

गांधीनगर, 23 सितंबर. भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना ली है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 में घोषणा की कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है.



इस उपलब्धि ने न सिर्फ भारत को नवाचार क्षमता को सिद्ध किया है, बल्कि युवाओं को नौकरी चाहने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बना दिया है. गांधीनगर, 23 सितंबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को स्टार्टअप

कॉन्क्लेव 2025 के उद्घाटन सत्र में कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है. उन्होंने बताया कि भारत का नवाचार सुर्वाहक लगातार सुधार की ओर है, और अगले तीन वर्षों में यह टॉप 10 देशों में शामिल हो जाएगा. शाह ने बताया कि 2014 में जहां भारत में केवल 500 स्टार्टअप थे, वहीं अब 1.92 लाख से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हैं. 120 यूनिवर्सिटी का संयुक्त बाजार मूल्य 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक है. स्टार्टअप इंडिया अभियान, जिसकी शुरुआत 2016 में

शाह ने यह भी बताया कि औसतन हर साल 17,000 स्टार्टअप पंजीकृत हो रहे हैं, जिनमें से लगभग 9,000 छोटे शहरों से हैं. सरकार द्वारा स्टार्टअप को दी जा रही सुविधाओं का भी जिक्र किया गया. इसके अंतर्गत 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स, अधिकतम ऋणा सीमा को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ करना, और टैक्स में विभिन्न रियायतें शामिल हैं. शाह ने गर्व के साथ कहा कि पिछले चार वर्षों से गुजरात देश का नेतृत्व कर रहा है और यह राज्य स्टार्टअप के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है. एलिवेट, इनोवेट एंड एक्सलरेट जैसे थीम के साथ यह सम्मेलन भारत के नवाचार भविष्य की दिशा को भी इंगित करता है.

प्रधानमंत्री ने की थी, अब स्पष्ट रूप से रंग ला रहा है. 52 प्रतिशत स्टार्टअप टियर-2 और टियर-3 शहरों से हैं और 48 प्रतिशत महिलाएं इनका नेतृत्व कर रही हैं.

मैंने भारत-पाक समेत 7 युद्ध खत्म कराए

संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुझे बिना टेलीग्राम पर भाषण देने में कोई आपत्ति नहीं है



न्यूयॉर्क 23 सितंबर. संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वर्तमान व्हाइट हाउस रोल और अमेरिका की वैश्विक ताकत पर जोर देते हुए भाषण दिया. ट्रंप ने सात युद्धों को रोकने का दावा करते हुए कहा कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान व इजरायल-ईरान के 12-दिन के युद्ध सहित सात अंतहीन युद्धों को समाप्त किया. उन्होंने कहा, काश यह काम संयुक्त राष्ट्र करता, लेकिन मुझे करना पड़ा. ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध पर

कहा कि नाटो देश अपने खिलाफ युद्ध को फंड कर रहे हैं. भाषण के दौरान टेलीग्राम पर अचानक बंद हो गया, लेकिन ट्रंप ने कहा, मुझे बिना टेलीग्राम पर भाषण देने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यह काम नहीं कर रहा. जो भी इसे ऑफरेट कर रहा है, उसे बड़ी परेशानी होने वाली है. ट्रंप ने अमेरिका की ताकत व उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा अमेरिका के पास अर्थव्यवस्था, सीमाएं, सैन्य शक्ति, मित्रताएं और राष्ट्रीय भावना है.

यूक्रेन युद्ध को फंडिंग कर रहे भारत-चीन

ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा कि नाटो देश अपने खिलाफ युद्ध को फंड कर रहे हैं. उन्होंने भारत-चीन को यूक्रेन जंग में रूस को फंड करने का आरोप लगाया है. कहा कि चीन और भारत रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन में युद्ध के प्राथमिक वित्तपोषक हैं. भारत और चीन दोनों यूक्रेन की जंग में प्रमुख निवेशक हैं. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान और इजरायल-ईरान के 12-दिन के युद्ध सहित सात अंतहीन युद्धों को समाप्त किया.

वीडियो सीडी न्यायालय को देने के निर्देश

पीएम व मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग का मामला

दरभंगा 23 सितंबर. मोदी और उनकी स्वर्गीय माता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने के मामले में अदालत में सुनवाई हुई.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और माता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने के आरोप में दर्ज सिमरी थाना कांड सं. 243/25 के नामजद अभियुक्त मोहम्मद नौशाद की अग्रिम जमानत याचिका सं.1344/25 की सुनवाई सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्र की अदालत में आज हुयी. याचिकाकर्ता की ओर से पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनीष झा एवं स्थानीय वरीय अधिवक्ता इरफानुल रहमान बिस्मिल ने अदालत में बहस किया.



शब्दों का प्रयोग करने के आरोप में दर्ज सिमरी थाना कांड सं. 243/25 के नामजद अभियुक्त मोहम्मद नौशाद की अग्रिम जमानत याचिका सं.1344/25 की सुनवाई सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्र की अदालत में आज हुयी. याचिकाकर्ता की ओर से पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनीष झा एवं स्थानीय वरीय अधिवक्ता इरफानुल रहमान बिस्मिल ने अदालत में बहस किया.


वहीं अभियोजन पक्ष से बहस के दौरान लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सुनवाई के लिए घंटित घटना का वीडियो सीडी का अवलोकन जरूरत है. कांड के अनुसंधानक से कार्यक्रम स्थल की सीडी की मांग की है. न्यायाधीश ने संबंधित वीडियो सीडी न्यायालय में संपर्पित करी का निर्देश दिया. गौरतलब है कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान मो. नौशाद ने पीएम व उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया था.

मानवरहित रिमोट हथियार बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ाते हैं : राजनाथ

राजनाथ ने मोरक्को में टाटा के अत्याधुनिक रक्षा विनिर्माण केन्द्र का उद्घाटन किया

नई दिल्ली 23 सितंबर. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देलतीफ लौदी ने मोरक्को के बेरेचिड में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टी.ए.एस.एल.) के अत्याधुनिक रक्षा विनिर्माण केन्द्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया.

सिंह ने इस अवसर को दोनों देशों के बीच बढ़ रही रणनीतिक साझेदारी में एक ऐतिहासिक क्षण बताया. बीस हजार वर्ग मीटर में फैले इस केन्द्र में स्वदेशी व्हीलड आर्म्स प्लेटफॉर्म (डब्ल्यू.एच.ए.पी.) का उत्पादन किया



जायेगा जिसे टी.ए.एस.एल. और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया है. यह एक आधुनिक मॉड्यूलर लड़ाकू प्लेटफॉर्म है जो उन्नत गतिशीलता, सुरक्षा और अलग-अलग तरह के मिशन के अनुकूल है. इसके विन्यास में पैदल सेना लड़ाकू वाहन, बख्तरबंद कार्मिक वाहक, टोही, कमांड पोस्ट, मोर्टार वाहक और यहां तक कि एम्बुलेंस के प्रकार भी शामिल हैं.

आरोपी बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

नई दिल्ली, 23 सितंबर. दक्षिण पूर्वी दिल्ली पुलिस ने एक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है, जिसने बॉलीवुड फिल्म शूटाउट एट लोखंडवाला और उसके माया नामक किरदार से प्रेरित होकर अपना गिरोह बनाया था. यह गिरफ्तारी अमर कॉलोनी में हुई चाकूबाजी और लूट की घटना में उसकी कथित संलिप्तता के बाद एक मुठभेड़ के दौरान हुई. पुलिस उपायुक्त हेमंत तिवारी ने मंगलवार को बताया कि 22-23 सितंबर की रात को सरिता विहार में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की टीम पर गैंगस्टर सागर उर्फ माया ने गोली चला दी, जिसके जवाबी कार्रवाई में वह पैर में गोली लगने से घायल हो गया. उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

आरटीआई में खुलासा : अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद का प्लान खारिज

अयोध्या 23 सितंबर. प्रस्तावित मस्जिद के प्लान को विकास प्राधिकरण ने एनओसी लॉबित होने के कारण खारिज कर दिया.

आरटीआई दाखिल करने पर मिले जवाब में यह जानकारी सामने आई. अयोध्या विकास प्राधिकरण ने सरकारी विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र न मिलने का हवाला देते हुए धन्नीपुर गांव में मस्जिद निर्माण प्लान को खारिज कर दिया है. यह जमीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप राज्य सूची में स्ट्रुल वक्फ बोर्ड को आवंटित की गई थी. आरटीआई के जवाब में एडीए ने 16 सितंबर को लिखे एक पत्र में कहा कि मस्जिद ट्रस्ट ने 23 जून 2021 को आवेदन दिया था, जिसे लोक



निर्माण, प्रदूषण नियंत्रण, नागरिक उड्डयन, संचाई, राजस्व, नगर निगम और अग्निशमन सेवाओं सहित अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र न मिलने के कारण खारिज कर दिया गया. उच्चतम न्यायालय ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या के अरसे पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल को 2.77 एकड़ जमीन मंदिर बनाने के लिए हिंदू पक्ष को देने का आदेश दिया था.

एक नजर में



न्यूयॉर्क में पुलिस ने रोकी फ्रांस राष्ट्रपति की कार
न्यूयॉर्क, 23 सितंबर. न्यूयॉर्क पुलिस ने डोनाल्ड ट्रंप के काफिले को रास्ता देने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के काफिले को रोक दिया. इस पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने तुरंत डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया. बता दें कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र चल रहा है, जिसमें लगभग 200 राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्री और हजारों राजनयिक शामिल हैं. यूपनजीए में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन का काफिला ट्रैफिक में फंस गया. क्योंकि न्यूयॉर्क पुलिस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफिले को रास्ता देने के लिए उनका काफिला रोक दिया था.
साय ने किया महतारी सेवा सदनों का लोकार्पण
धमतरी, 23 सितंबर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धमतरी जिले के ग्राम करेलीबड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 51 महतारी सदनों का लोकार्पण किया. इस अवसर पर उन्होंने जिले के लिए 245 करोड़ 80 लाख रुपये के विकास कार्यों की भी शुरुआत की. मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी सदन योजना ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. धमतरी जिले में चार ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाए गए हैं. प्रथम चरण में 202 सदनों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे. इस कार्यक्रम में राज्य भर की दो लाख महिलाओं ने तबुअल रूप में हिस्सा लिया. साय ने कहा कि दूसरे चरण में 166 नए महतारी सदन बनाए जाएंगे. यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है. कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे.

रूस न्यू स्टार्ट संधि को बढ़ाने के लिए तैयार
नई दिल्ली/मास्को, 23 सितंबर. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस 2010 में अमेरिका के साथ हुई नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि (न्यू स्टार्ट) की अवधि को एक और वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए तैयार है. यह महत्वपूर्ण संधि अगले साल पांच फरवरी को अपनी मियाद पूरी कर लेगी. राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, एक नई सामरिक हथियारों की होड़ को रोकने और एक स्वीकार्य स्तर के अनुमान एवं संयम अर्पण रखने के लिए, हम न्यू स्टार्ट के तहत स्थापित यथास्थिति को इस अंशांत समय में बनाए रखना उचित समझते हैं. इसके कारण रूस पांच फरवरी, 2026 के बाद एक वर्ष तक संधि के केंद्रीय मात्रात्मक प्रतिबंधों का पालन जारी रखने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि लगभग 15 वर्षों से इस समझौते ने सामरिक आक्रामक हथियारों के क्षेत्र में संतुलन और पूर्वानुमानशीलता बनाए रखने में रचनात्मक भूमिका निभाई है.

वोट काटने की रची साजिश!
नई दिल्ली 23 सितंबर. सीट पर अरविन्द केजरीवाल की हार को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है. काव्या नाम की एक यूजर ने रिपोर्ट और इंटरव्यू शेयर कर दावा किया कि जानबूझकर वोट काटे और जोड़े गए ताकि केजरीवाल हारे. उन्होंने इसे लोकतंत्र के साथ मजाक बताया और इस पर गंभीर बहस छिड़ गई है. नई दिल्ली लोकसभा सीट पर अरविन्द केजरीवाल की हार अब राजनीति और सोशल मीडिया में गहन बहस का विषय बन गई है. इस सीट पर हुई चुनावी हार के बाद आरोप लग रहे हैं कि पूरे चुनाव में वोट काटने और जोड़ने का सुनिश्चित खेल खेला गया. दरअसल, सोशल मीडिया यूजर काव्या ने एक रिपोर्ट और इंटरव्यू शेयर करते हुए दावा किया कि अरविन्द केजरीवाल को हराने के लिए विपक्षी दलों ने रणनीतिक तहत वोटों का बंटवारा कराया.

विकसित भारत बिल्डथॉन से छात्रों में नवाचार को

नई दिल्ली, 23 सितंबर. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि विकसित भारत बिल्डथॉन के माध्यम से देश भर के स्कूली छात्रों में नवाचार को बढ़ावा दिया जायेगा.

प्रधान ने आज यहां विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ करने के बाद कहा कि यह अब तक का सबसे बड़ा स्कूल हैकथॉन, विकसित भारत बिल्डथॉन, छात्रों को चार विषय-वस्तुओं वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी और समृद्धि पर विचार करने और उत्पाद का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करके जमीनी स्तर पर नवाचार की संस्कृति को और सुदृढ़ करेगा. उन्होंने कहा कि

विकसित भारत बिल्डथॉन से छात्रों में नवाचार को

यह पहल छात्रों के नवाचार को सम्मानित करेगी, देश में नवाचार पुनर्जागरण का निर्माण करेगी और सुनिश्चित करेगी कि युवा पीढ़ी छात्रों में नवाचार को बढ़ावा दिया जायेगा. प्रधान ने आज यहां विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ करने के बाद कहा कि यह अब तक का सबसे बड़ा स्कूल हैकथॉन, विकसित भारत बिल्डथॉन, छात्रों को चार विषय-वस्तुओं वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी और समृद्धि पर विचार करने और उत्पाद का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करके जमीनी स्तर पर नवाचार की संस्कृति को और सुदृढ़ करेगा. उन्होंने कहा कि

23 महीने बाद जेल से रिहा हुये आजम



सीतापुर 23 सितंबर. समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान 23 महीने का लंबा समय कारागार में बिताने के बाद मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहा कर दिये गये. जेल से बाहर आने के बाद आजम अपने दो बेटों अब्दुल्लाह आजम और अजीब आजम के साथ कार में बैठ कर रामपुर के लिये खाना हो गये. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया.

नीतीश ने किया 311 योजना का शिलान्यास

627.79 करोड़ रुपये की लागत से होंगे कार्य
योजनाओं का शिलान्यास अनावरण किया

पटना, 23 सितंबर. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने मंगलवार को पूर्वी चम्पारण जिले में 627.79 करोड़ रुपये लागत की 311 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया. कुमार ने पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत महावीर विष्णु (2) विद्यालय, सेमरा के परिसर में आयोजित कार्यक्रम स्थल से 627.79 करोड़ रुपये लागत की 311 योजनाओं का शिलान्यास अनावरण कर रिमोट के माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास किया.

इनमें स्वास्थ्य विभाग, बिहार राज्य पुल निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, ग्रामीण विकास विभाग (लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना अंतर्गत अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई), पथ निर्माण विभाग (पथ प्रमंडल, मोतिहारी), जल संसाधन विभाग, पंचायती राज विभाग, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल - 01, मोतिहारी, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल 02, पकड़ीदयाल, शिक्षा विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पर्यटन विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण विकास योजनाएं शामिल हैं. मुख्यमंत्री कुमार ने महावीर विष्णु (2) विद्यालय, सेमरा परिसर में लाभुकों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित पेंशनधारी लाभुकों, जीविका आदिश्यों, आंगनवाड़ी सेविका / सहायिका सहित अन्य लाभुकों के साथ संवाद किया.

इसके अंतर्गत 145.30 करोड़ रुपये की लागत से 294 योजनाओं का उद्घाटन एवं 482.88 करोड़ रुपये की लागत से 17 योजनाओं का

शिलान्यास शामिल है. इन योजनाओं में प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणाओं का शिलान्यास भी शामिल है.

फिलीस्तीन को मिली बतौर राष्ट्र मान्यता



संयुक्त राष्ट्र, 22 सितंबर. फ्रांस, बेल्जियम और कुछ अन्य यूरोपीय देश फिलिस्तीन को बतौर राष्ट्र की मान्यता देने वाले देशों की बढ़ती सूची में शामिल हो गए हैं.

बैठक फिलिस्तीन समस्या के द्वि-राष्ट्र समाधान पर बुलाई है. इस सम्मेलन की सह-अध्यक्षता पहले दिन फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने की. इसी बैठक में माल्टा, मोनाको और लक्जमबर्ग ने भी फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की, जिससे ऐसा कदम उठाने वाले देशों की संख्या 150 से ज्यादा हो गई. संयुक्त राष्ट्र मंत्री फ्रैंस बिन फ्रान्क अल सऊद ने कहा कि द्वि-राष्ट्र समाधान न्यायसंगत और स्थायी शांति प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है. फ्रांस परराज और कई अन्य देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देना, फिलिस्तीन लोगों को न्याय देने अधिकारों पर विचार करने की इच्छा को दर्शाता है.

आज का इतिहास

1688 - फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की.
1726 - ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई, लकनौ और मद्रास में नगर निगम और महापौर अदालतों को बनाने के लिए अधिकृत किया गया।
1789 - अमेरिका में अटॉर्नी जनरल का कार्यालय बनाया गया।
1861 - प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रांतिकारी भौकाजी कामा का जन्म।

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति जावरा जिला रतलाम (म.प्र.)

क्रमांक /मण्डी/स्टोर/ 2025-26/1333 जावरा, दिनांक 22.09.2025

कोटेशन आमंत्रण सूचना

सर्वसम्बन्धितों को सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति जावरा के मण्डी/उपमण्डी प्रांगणों के नीलाक क्षेत्रों, कब्बर्ड रोडों में रोड मार्कां पेंट से पट्टे डलवाने एवं चुने के कट्टे की दरें अंतिमित की जाती हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	सामग्री एवं कार्य का विवरण	दर
1.	यलो कलर रोड मार्कां प्रति इंच (20 लीटर) की दर	
2.	तारपीन प्रति लीटर की दर	
3.	अन्य आवश्यक सामग्री	
4.	प्रति नग इंच से पट्टे डालने की मजदूरी की दर	
5.	चुना कट्टा (30 किलो) प्रति कट्टे की दर	

अन्य इच्छुक व्यक्तियों/फर्म उपरोक्तानुसार सामग्री एवं कार्य हेतु 01 वर्ष की समावधि के लिए अपने भाव पत्र सीलबद्ध लिफाफे में दिनांक 13.10.2025 समय सायं 5.30 बजे तक कृषि उपज मण्डी समिति जावरा के अरविन्दपीठा कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, जो दिनांक 14.10.2025 को समय दोपहर 2.00 बजे सत्र में खोलें जावेंगे। सशर्त भाव पत्र/कोटेशन मान्य नहीं किये जावेंगे। न्यूनतम दर वाले ही भाव पत्र/कोटेशन मान्य किये जावेंगे। दर स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मण्डी समिति को रहेगा, जिसका कारण बताने हेतु बाध्य नहीं होगा। विलम्ब से प्राप्त भाव पत्र/कोटेशन मान्य नहीं किये जावेंगे। कार्य की आवश्यकता अनुसार आगामी वर्ष के लिए आपसी सहमति से पूर्व स्वीकृत दर पर भी कार्य की अवधि बढ़ाई जा सकती है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में अंतिम निर्णय अधोहस्ताक्षर / मण्डी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति जावरा
जिला-रतलाम (म.प्र.)

मांग नोटिस		
वित्तीय आसिस्वा का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवेदन अधिनियम, 2002 (उक अधिनियम) की धारा 13(2) के साथ प्रतिभूति हित (प्रवेदन) नियम, 2002 (उक नियम) के नियम 3(1) को पढ़ें। उक अधिनियम की धारा 13(12) के साथ उक नियमों के नियम 3 को पढ़ें के तहत प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल एचएफएफएल) (जिसे पहले इंडिया इन्वोल्वेन्ट्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के प्राधिकृत अधिकारों ने उक अधिनियम की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ता (ओं) से उनको जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशि को चुकाने के लिए कहा गया है। उपरोक्त के संबंध में, उधारकर्ता (ओं) को एक वाक फिर से नोटिस दिया जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर नीचे उचित राशियों का भुगतान करने उधारकर्ता (ओं) का विवरण, डिमांड नोटिस को तिथि कर देय राशि और अन्य राशि के पुनर्निर्माण के लिए दी जाने वाली सूची निम्नानुसार है:-		
उधारकर्ता/गारंटर का नाम	मांग नोटिस दिनांक और राशि	सुरक्षित परिसर (अचल संपत्ति) का विवरण
श्रीमती नेहा गौर, श्री मोनो गौर, (प्रॉसेक्यूट नं. IL10960532)	13/08/2025 और रु. 2988155/- (उत्तरीस लाख अठसो हजार एक एक सौ पचपन मात्र)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा: प्लॉट संख्या 19 का उत्तरी भाग, समर्थ वाटिका, गांव नानोद, तहसील महाराजपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, 452001, भारत क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल: 500.00, 489.00, 489.00
श्री कमलेश गोस्वामी, सावित्री कलेश्वर, श्रीमती अशेषा गोस्वामी, (प्रॉसेक्यूट नं. IL10570022)	13/08/2025 और रु. 3993223.68/- (उत्तरीस लाख चौतिस हजार दो सौ तेईस और अड़सठ पैसे मात्र)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा: मकान संख्या 61 का हिस्सा, बंगला संख्या 46, सी.आर.पी.एफ. रोड, नैमच, मध्य प्रदेश, 458441 - भारत। क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल: 769.00, 1230.00, 1538.00
श्री तनवर, पटेल विलिंक, श्रीमती अर्चना बी, (प्रॉसेक्यूट नं. IL10621203)	13/08/2025 और रु.1082819/- (सस लाख ब्यासी हजार अठसो सौ उनसस मात्र)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा: मकान संख्या 87, पी.एच.ए. 82, ग्राम-खोकरिया, उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456001-भारत। क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, निर्मितक्षेत्र। संपत्ति का क्षेत्रफल: 1440.00, 1440.00, 1440.00

नोट: उक उधारकर्ता आईआईएफएल एचएफएफएल को पूर्णतः भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो आईआईएफएल एचएफएफएल उक अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उधारकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकता है, जिसका जोरदार, सतत और सीमापार तरीके से अग्रकानों के द्वारा भी अधिक जानकारी के लिए कृपया शाखा कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों से संबंध करें: प्रथम तल, 29 निवास चौक, अकच मार्ग, नई सड़क उज्जैन (मध्य प्रदेश) -456001/102/103, दरभाना, 15/2 रेस्कोसे रोड, इंदौर-452001, मध्य प्रदेश या कॉर्पोरेट कार्यालय: आईआईएफएल टावर, प्लॉट संख्या 98, उद्योग विकास, फेज-IV बुधगंज, हरियाणा।
स्थान: इन्डौर
दिनांक: 24.09.2025

PROFORMA NO. IV
(See Sub Rule 2(A) of Rule 5)
Summon/Notice Through News Paper Publication under subsection (4) of section 19 of the Act, read with sub rule 2A of rule 5 of the Debts Recovery Tribunal (procedure) rules 1993
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JABALPUR
2nd & 3rd FLOOR, BSNL BUILDING, NEAR HEAD OFFICE POST OFFICE CIVIL LINES, JABALPUR (M.P.) 482001

DATE _____

HDFC Bank Limited
HDFC Bank House,
Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West) Mumbai- 400013
Branch office amongst other places at- HDFC Bank Ltd., Savitri, 597-3/2 GCF Road, Civil Lines, Near RTO Office, Jabalpur, (M.P.)- 482001
Through its authorized officer : **Mr. Ashish Rawat**

APPLICANTS

-VERSUS-

- M/S BUBBLES PLAST PRODUCTS THROUGH IT'S PARTNERS MR. SANGAM NAGAR AND MR. DINESH NAGAR,**
ADD: 129, BARDANA MANDI PALDA, INDORE (M.P.) 452001
Also at- 39/3, PALSIKAR COLONY, BABAL MANDIR ROAD, INDORE (MP) 452001 (BORROWER)
- MR. SANGAM NAGAR S/O- MR. DINESH NAGAR**
ADD: 129, BARDANA MANDI PALDA, INDORE (M.P.) 452001
Also at- 39/3, PALSIKAR COLONY, BABAL MANDIR ROAD, INDORE (MP) 452001 (PARTNER/MORTGAGOR)
- MR. DINESH NAGAR, S/O MAGANLAL NAGAR**
ADD: 129, BARDANA MANDI PALDA, INDORE (M.P.) 452001
Also at- 39/3, PALSIKAR COLONY, BABAL MANDIR ROAD, INDORE (MP) 452001 (PARTNER/MORTGAGOR)

DEFENDANTS

Whereas, **O.A. No./479/2024** was listed before Hon'ble Presiding Officer on **DL-29/04/2024**.
Whereas, the Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said application under section 19(4) of the Act, filed against you recovery of debts of **Rs.27,11,168.95/-** with expenses and future interest (application along with copies of the documents etc. Annexed)
In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you the defendants are directed as under:-
(i) To Show Cause within 30 days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted.
(ii) To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under Serial No. 3A of the Original Application.
(iii) You are restrained from dealing without disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under Serial No. 3A of the Original Application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
(iv) You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest created and/or other Assets and properties specified or disclosed under Serial number 3A of the Original Application without the prior approval of the Tribunal.
(v) You shall be liable to account for the sale proceeds realised by the sale of securities assets or other Assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank of financial institutions holding security interest over such assets.
You are also directed to file the return statement with a copy there of furnished to the applicant and to appear before Registrar on **DL-23/12/2025 at 10:30 a.m.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.
Give under my hand and Seal of the Tribunal on this **19th August day of 2025**